महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी

दूरध्वनी : ०२२-२२६७२५३९
ईमेल : mhsahityaacademy@gmail.com

ओल्ड कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, दुसरा मजला,
शहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई - ४०० ००१.

ब) पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना :

योजना का उद्देश्य :

हिंदी भाषा में उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देना, हिंदी साहित्यकारों की कृतियों को प्रकाशित करना और उस साहित्य को सृजनशील पाठकवर्ग तक लेकर जाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है।

योजना का स्वरुप, पात्रता, नियम :

- साहित्यकारों को अकादमी कार्यालय में पूर्णत: विवरण आवेदनपत्र के साथ साहित्यिक कृति की २ प्रतियाँ स्वच्छ हस्तलिखित/ टंकणित रुप में भेजना आवश्यक है ।
- साहित्यकारों को पुस्तक के प्रकाशन के लिए अनुमानित अंदाज खर्च का विवरण (Estimate) आवेदनपत्र के साथ जोडना आवश्यक है ।
- चुनी हुई हस्तलिखित साहित्यिक कृति के प्रकाशन की व्यवस्था लेखक को खुद करनी होगी अथवा प्रकाशन, संस्था व्दारा पुस्तक छपवाने की प्रक्रिया करवानी होगी। प्रकाशन की अवधि प्रकाशन संस्था व्दारा प्रमाणित करके आवेदन पत्र के साथ जोडना आवश्यक है।
- पुस्तक प्रकाशन अनुदान मंजूरी के बाद पुस्तक का प्रकाशन निर्धारित समय में आवश्यक है।
- साहित्यिक कृति प्रकाशित होने के बाद उसकी २५ प्रतियाँ विनामूल्य अकादमी को देना आवश्यक है ।
- साहित्यिक कृति का प्रकाशन करते समय पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित संदेश हिंदी देवनागरी लिपी में प्रकाशित करना अनिवार्य है ।

इस किताब का प्रकाशन महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के 'पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना ' के तहत प्राप्त अनुदान के सहयोग से किया गया है ।

- साहित्यकार / लेखक की साहित्यिक कृति को एक बार अनुदान प्राप्त होने के उपरांत अगले ५ साल के लिए उसी लेखक को पुस्तक प्रकाशन का अनुदान नहीं दिया जाएगा ।

- महाराष्ट्र राज्य में १५ साल से निवास कर रहे हिंदी साहित्यकार पात्र होंगे। **(१५ साल का अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक है ।)**

- किसी भी निजी संस्था, राज्य शासन और केंद्र सरकार के अनुदान से प्रकाशित होनेवाली किताब को इस योजनांतर्गत अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा ।
- यह अनुदान केवल मूल (Original) साहित्यकृति को ही मिलेगा । पुन:मुद्रण अथवा बाद में प्रकाशित कृति को अनुदान नहीं मिलेगा ।
- आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी साहित्यकार की होगी और ऐसे साहित्यकार को दिया गया अनुदान अकादमी द्वारा वापस लिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- इस योजना के तहत अनुदान मंजूरी के लिए अकादमी का निर्णय अंतिम होगा। अनुदान मंजूरी न मिलने पर कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा और प्राप्त पांडुलिपी वापस नहीं की जाएगी।
- साहित्यक्षेत्र में निम्नलिखित साहित्य प्रकार इस योजना के लिए पात्र होंगे -
  काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी-परक साहित्य, लोक साहित्य, बाल साहित्य, समीक्षा, पत्रकारिता-कला, अनुवाद, हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य, हिंदी भाषा, भाषा शास्त्र तथा व्याकरण सम्बन्धी लेखन आदि।

<u>अनुदान का स्वरुप :</u>

- अकादमी की समिति द्वारा जिस साहित्य कृति को अनुदान मंजूर हुआ हो, उस साहित्य कृति के प्रकाशन के लिए साहित्यकार द्वारा जोडे हुए अनुमानित खर्च में उल्लेखित ५०% राशि अथवा रु. २५,०००/- इसमें जो राशि कम रहेगी, वह राशि अनुदान के स्वरुप में प्रदान की जाएगी ।

****